

**अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा**  
**GRANT No. 3 - ATOMIC ENERGY**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित—	Charged-			
मूल	Original	3,91,00		
		8,13,00	1,13,80	-6,99,20
पूरक	Supplementary	4,22,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	20247,23,00		
		21771,68,00	21594,25,51	-177,42,49
पूरक	Supplementary	1524,45,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,89,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	15908,79,00		
		16036,28,00	15021,20,54	-1015,07,46
पूरक	Supplementary	127,49,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			865,18,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (₹699.20 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹422.00 लाख के पूरक विनियोग से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत विनियोग का 86 प्रतिशत थीं।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹699.20 lakhs) exceeded the supplementary *appropriation* of ₹422.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 86 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services			
मू.	O.	391.00	813.00	113.80
पू.	S.	422.00		
				-699.20

(I) "सचिवालय – परमाणु ऊर्जा विभाग" के अंतर्गत ₹391.00 लाख के मूल विनियोग को ₹422.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹813.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹699.20 लाख की बचत (पूरक विनियोग सहित) श्रम अदालत और उच्च न्यायालय में लंबित अदालती मामलों की कार्यवाही अभी शुरू न होने के कारण हुई।

(I) Under "Secretariat - Department of Atomic Energy" - the original appropriation of ₹391.00 lakhs was augmented to ₹813.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹422.00 lakhs. However, there was a saving of ₹699.20 lakhs (including supplementary appropriation) - due to proceeding of pending court cases in Labour Court and High Court are yet to be completed.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (₹17742.49 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹152445.00 लाख के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से कम थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹17742.49 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grants of ₹152445.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
विद्युत	Power			
मू.	O.	669061.00	698149.00	697336.69
पू.	S.	30149.00		
पु.	R.	-1061.00		
				-812.31

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	---	--

शीर्ष Head	Head				
मुख्य शीर्ष “2852” उद्योग	Major Head “2852” Industries				
मू.	O.	453306.00			
पू.	S.	95620.00	549754.70	543451.25	-6303.45
पु.	R.	828.70			
मुख्य शीर्ष “3401” परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Major Head “3401” Atomic Energy Research				
मू.	O.	895179.00			
पू.	S.	26676.00	921794.00	911880.99	-9913.01
पु.	R.	-61.00			

(I) ₹2883.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “2801” – “नाभकीय विद्युत उत्पादन – राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र – संचालन एवं रखरखाव” के अंतर्गत ऊर्जा केंद्र को देय राशि के समाधान के लंबित रहने के कारण एक मामले में पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2883.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head “2801” - “Nuclear Power Generation - Rajasthan Atomic Power Station - Operation and Maintenance” - due to pendency of reconciliation of the dues to the power station.

(II) मुख्य शीर्ष “2852” – “परमाणु ऊर्जा उद्योग” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head “2852” - “Atomic Energy Industries” - savings occurred under the following heads:-

(का) “उपकरणों का निर्माण – भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र” – ₹1021.11 लाख की बचत (₹6260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (व्यक्तिगत) के लिए मंजूरी न मिलने, स्थानांतरण और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की संख्या में वृद्धि होने, लघु सिविल और विद्युत संबंधी कार्यों को स्थगित करने, मशीनरी और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के काम को पूरा न होने के कारण हुई।

(A) “Fabrication of Equipment - Bhabha Atomic Research Centre” - saving of ₹1021.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6260.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of sanction for Performance Related Incentive Scheme (Individual), increase in number of transfers and voluntary retirement cases, deferment of minor civil and electrical works, non-materialisation of repair and maintenance work of Machinery and Equipment.

(खा) “सामान्य सुविधाएं – एनएफसी की अन्य सामान्य सुविधाएं” – ₹2319.04 लाख की बचत (₹9733.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों और कार्मिकों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

(गा) “ईंधन पुनर्प्रसंस्करण – भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र” – ₹9859.01 लाख की बचत (₹45754.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, सामग्री और आपूर्ति के खरीद आदेशों को पूरा न होने, नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट्स के लिए समझौता ज्ञापन/प्रशासन ज्ञापन का मूर्त रूप न लेने, कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (व्यक्तिगत) के लिए मंजूरी न मिलने, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्यों की निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने, मशीन कल पूर्जा और उपकरणों की खरीद में देरी, लघु सिविल कार्यों, उपभोग्य सामग्रियों, मरम्मत और रखरखाव, किए गए दौरों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3401” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अनुसंधान और विकास” –

(क) “बीएआरसी अनुसंधान केंद्र” – ₹4595.37 लाख की बचत (₹251148.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम धनराशि की आवश्यकता होने, आपूर्ति के खरीद आदेशों का पूरा न होने, वाहनों की किराये पर लेना, परामर्श सेवाएं, आईटी हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों, मुद्रण और प्रकाशन, किए गए दौरे, ईंधन की लागत में कमी, पेशेवरों की नियुक्ति, और परामर्श शुल्क, हाउसकीपिंग और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के कार्य आदेशों प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।

(B) “Common Facilities - Other Common Facilities of NFC” - saving of ₹2319.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9733.00 lakhs) was due to decrease in Contributory Health Services Scheme beneficiaries and decrease in manpower.

(C) “Fuel Reprocessing - Bhabha Atomic Research Centre” - saving of ₹9859.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45754.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of Purchase Orders for material and supplies, non-materialisation of Memorandum of Understanding/Memorandum of Administration for Junior Research Fellows, Research Associates for newly sanctioned projects, non-receipt of sanction for Performance Related Incentive Scheme (Individual), non-finalisation of tendering process of civil and electric works, delay in procurement of machine tools and components, minor civil works, requirement of less funds towards consumables, repairs and maintenance, tours undertaken and other establishment related expenses.

(III) Under Major Head “3401” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Research and Development” -

(a) “Research Centres of BARC” - saving of ₹4595.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹251148.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards leave travel concession, non-materialisation of purchase orders of supplies, hiring of vehicles, consultancy services, IT hardware and peripherals, printing and publications, tours undertaken, reduction in cost of fuel, engagement of professionals, and other consultant fees, delay in placement of work orders related to housekeeping and other establishment related expenses.

- (ख) “एएमडी अनुसंधान केंद्र” – ₹5627.42 लाख की बचत (₹46334.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना के प्रतिशत में कमी, अंतरिक्ष विभाग को रिसोर्ससैट-3ए उपग्रह के लिए लागत साझा करने का मूर्त रूप न लेने, नई परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और किराए, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ग) “वीईसीसी अनुसंधान केंद्र” – ₹2000.46 लाख की बचत (₹21232.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य सहायकों और प्रशिक्षुओं/तकनीशियनों की नियुक्ति में देरी होने के कारण हुई।
- (घ) “डीएई योजनाएं” – ₹6314.07 लाख की बचत (₹106369.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसकेए परियोजना के लिए कर्मचारियों की भर्ती में देरी, एसकेए परियोजना की अधिप्राप्तियों का मूर्त रूप न लेने, संशोधित वस्तु शीर्षों के अनुसार परमाणु ऊर्जा साझा परियोजना के लिए वैश्विक केंद्र के पुनः आवंटन को मंजूरी न मिलने, डीएई पब्लिक आउटरीच और अवधारणा प्रबंधन के विस्तार को नई स्वीकृत परियोजना में स्थानांतरित किए जाने आदि के कारण हुई।
- (ख) “नियंत्रण और नियामक कार्य – परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड” – ₹583.35 लाख की बचत (₹11542.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृति में विलंब की वजह से कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन स्कीम (वैयक्तिक) के बकायों का भुगतान न किए जाने, चिकित्सा संबंधी दावे कम प्राप्त होने और परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना से संबंधित खरीद आदेश का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।
- (ग) “सामान्य सुविधाएं” –
- (क) “क्रय एवं भंडार निदेशालय” – ₹823.72 लाख की बचत (₹10405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की
- (b) “Research Centres of AMD” - saving of ₹5627.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46334.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction in percentage of Performance Related Incentive Scheme, non-materialization of cost sharing towards Resourcesat-3A Satellite to Department of Space, non-finalization of new projects and requirement of less funds towards rent, rates & taxes.
- (c) “Research Centres of VECC” - saving of ₹2000.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21232.00 lakhs) was due to delay in joining of recruited Work Assistants and Trainees/Technicians.
- (d) “DAE Schemes” - saving of ₹6314.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹106369.00 lakhs) was due to delay in hiring of manpower for the SKA Project, non-finalization of procurements of SKA Project, non-receipt of sanction for reallocation of Global Centre for Nuclear Energy Partnership Project as per revised object heads, shifting of expansion of DAE Public Outreach and perception management to newly sanctioned project.
- (B) “Control and Regulatory Functions - Atomic Energy Regulatory Board” - saving of ₹583.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11542.00 lakhs) was due to non-payment of Performance Related Incentive Scheme (Individual) arrears owing to delay in sanction, less receipt of medical claims and non-materialization of purchase order related to Department of Atomic Energy expansion project.
- (C) “Common Facilities” -
- (a) “Directorate of Purchase & Stores” - saving of ₹823.72 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण आदि के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना की पात्रता मानदंड में परिवर्तन किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹10405.00 lakhs) was due to reduction in staff due to retirements, transfers etc., non-filling up of vacant posts and change in Performance Related Incentive Scheme eligibility criterion.

(ख) “निर्माण सेवाएँ और संपदा प्रबंधन निदेशालय” – ₹1030.85 लाख की बचत (₹15957.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण रिक्त पदों को न भरने, प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन (व्यक्तिगत/समूह/संगठन) का भुगतान न करने और प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) “Directorate of Construction Services and Estate Management” - saving of ₹1030.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15957.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts due to delay in recruitment process, non-payment of Performance Related Incentive (Individual/Group/Organisation) and requirement of less funds towards training.

(घा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी” – ₹732.42 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में बदलाव के कारण हुई।

(D) “International Co-operation - International Atomic Energy Agency” - saving of ₹732.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹364.26 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत है।

(IV) Under one head saving of ₹364.26 lakhs occurred constituting 29 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष “2801” – “नाभकीय विद्युत उत्पादन – ईंधन सूची – अन्य स्टेशनों के लिए पीएचडब्ल्यूआर ईंधन” – ₹1078.97 लाख का अधिक व्यय (₹30149.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹215464.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुड़नकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र 1 के लिए मेसर्स टीवीईएल, रूस से ईंधन की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Major Head “2801” - “Nuclear Power Generation - Fuel Inventory - PHWR Fuel for other Stations” - excess of ₹1078.97 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹215464.00 lakhs including supplementary grant of ₹30149.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of fuel from M/s. TVEL, Russia for Kudankulam Nuclear Power Plant 1.

(II) मुख्य शीर्ष “2852” – “परमाणु ऊर्जा उद्योग” –

(II) Major Head “2852” - “Atomic Energy Industries” -

(का) “आइसोटोप – विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड” – ₹1587.85 लाख का अधिक व्यय

(A) “Isotopes - Board of Radiation & Isotope Technology” - excess of ₹1587.85 lakhs (against the

(₹10997.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों की एएमसी के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होने, रसद की लागत और विदेश में अधिकारियों के प्रशिक्षण होने, डीए दर और अन्य भत्तों, हाउसकीपिंग, बागवानी, डेटा प्रविष्टि, शिपिंग लोडिंग और अन्य कार्यों के रखरखाव शुल्क में वृद्धि, उत्पादन विभाग के लिए आउटसोर्सिंग, रेडियो केमिकल्स, जैव-रासायनिक और अंतरिक्ष मैनिपुलेटर के आयात में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(खा) “सामान्य सुविधाएं – भारी पानी संयंत्रों की आवासीय कॉलोनीयों के लिए संपदा प्रबंधन” – ₹709.81 लाख का अधिक व्यय (₹2436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय कॉलोनी की सुरक्षा, लघु सिविल और विद्युत कार्यों के लिए नए अनुबंध करने और बिजली शुल्क की दर में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) “परमाणु ईंधन परिसर – ईंधन निर्माण सुविधाएं” – ₹937.00 लाख का अधिक व्यय (₹91248.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹367961.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली शुल्क और रखरखाव की लागत और मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वर्दी और मुद्रण के एमडीयू शुल्क में वृद्धि होने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) “परमाणु पुनर्चक्रण बोर्ड के लिए संयंत्रों का संचालन – ईंधन पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा” – ₹5052.07 लाख का अधिक व्यय (₹3637.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹73551.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, सुरक्षा, बिजली और पानी के शुल्क, ईंधन और स्नेहक, आवासीय भवनों के रखरखाव कार्य और वाहनों को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष “3401” – “अनुसंधान एवं विकास” –

(का) “आईजीसीएआर अनुसंधान केंद्र” – ₹3615.53 लाख का अधिक व्यय (₹55781.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव,

sanctioned provision of ₹10997.00 lakhs) was due to requirement of more funds towards AMC of equipment, increase in cost of logistics and training of officers abroad, increase in DA rate and other allowances, maintenance charges of housekeeping, gardening, data entry, shifting loading and other work, outsourcing for production department, import of radiochemicals, bio-chemical and space manipulator.

(B) “Common Facilities - Estate Management for Housing Colonies at Heavy Water Plants” - excess of ₹709.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2436.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards new contract of hiring of housing colony security, minor civil and electric works and increase in rate of electricity charges.

(C) “Nuclear Fuel Complex - Fuel Fabrication Facilities” - excess of ₹937.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹367961.00 lakhs including supplementary grant of ₹91248.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in electricity tariff and cost of maintenance and MDU charges to M/s. Uranium Corporation of India Ltd., uniforms, liveries and printing.

(D) “Operating Plants for Nuclear Recycle Board - Fuel Recycle and Waste Management Facility” - excess of ₹5052.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹73551.00 lakhs including supplementary grant of ₹3637.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, additional requirement of funds towards security, electricity and water charges, fuel and lubricants, maintenance work of residential buildings and hiring of vehicles.

(III) Major Head “3401” - “Research and Development” -

(A) “Research Centres of IGCAR” - excess of ₹3615.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55781.00 lakhs) was due to requirement of

संयंत्र आपूर्ति, वैज्ञानिक कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि और पदोन्नति, बढ़ी हुई छात्रवृत्ति, आउटसोर्सिंग अनुबंधों, बिजली और पानी के शुल्क में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) “आरआरसीएटी अनुसंधान केंद्र” – ₹1175.65 लाख का अधिक व्यय (₹41610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भत्ते में वृद्धि, बिजली शुल्क की बढ़ी हुई दरें, सुरक्षा व्यय, जल प्रभार, रखरखाव गतिविधियों के विस्तार और ओ एंड एम अनुबंधों की दरों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) “स्वायत्त निकाय और अनुसंधान सहायता” – ₹7410.69 लाख का अधिक व्यय (₹26676.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹332674.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली और पानी के शुल्क, संचालन और रखरखाव में वृद्धि, टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में विभिन्न उपकरणों की खरीद और अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें (₹101507.46 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹12749.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

additional funds towards repairs and maintenance of plant and equipments, plant supplies, additional increment and promotion to scientific staff, enhanced scholarships, increase in outsourcing contracts, electricity and water charges.

(B) “Research Centres of RRCAT” - excess of ₹1175.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41610.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards enhances allowances, enhanced rates of electricity tariff, security expenses, water charges, expansion of maintenance activities and increase in rates of O&M contracts.

(C) “Autonomous Bodies and Research Support” - excess of ₹7410.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹332674.00 lakhs including supplementary grant of ₹26676.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in electricity and water charges, operation and maintenance, procurement of various equipment at Tata Institute of Fundamental Research, Hyderabad and grants for construction of hospital buildings.

4. In the capital section of the grant, savings (₹101507.46 lakhs) exceeded supplementary grants of ₹12749.00 lakhs, obtained in December, 2024 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"			
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects			
मू.	O.	290891.00		
			291001.00	291000.00
पु.	R.	110.00		-1.00
मुख्य शीर्ष "4861"	Major Head "4861"			
परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Atomic Energy Industries			
मू.	O.	531983.00		
पू.	S.	12749.00	545187.00	538553.00
पु.	R.	455.00		-6634.00
मुख्य शीर्ष "5401"	Major Head "5401"			
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Atomic Energy Research			
मू.	O.	146015.00		
			127812.00	119484.47
पु.	R.	-18203.00		-8327.53
मुख्य शीर्ष "6801"	Major Head "6801"			
बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	Loans for Power Projects			
मू.	O.	621900.00		
			553000.00	553000.00
पु.	R.	-68900.00		..

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹14.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “4861” – “भारी पानी – भारी पानी उत्पादन – भारी पानी का संचालन व्यय” के अंतर्गत ₹137439.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12468.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹149907.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को न भरने और प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन योजना के पात्रता मानदंड में परिवर्तन किए जाने के कारण ₹683.61 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) मुख्य शीर्ष “4801” – “नाभकीय ऊर्जा उत्पादन – परमाणु ऊर्जा की विद्युत परियोजना – कुडनकुलम में रिएक्टर परियोजनाओं से दूर” के अंतर्गत ₹26685.00 लाख की बचत (₹34585.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजाइन कार्य की धीमी प्रगति होने और विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत करने में देरी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4861” – “परमाणु ऊर्जा उद्योग – परमाणु ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएँ” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “भारी जल परियोजनाओं में सुधार/संशोधन” – ₹539.32 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्रमों की केस फाइलों की पुनः निविदा किए जाने, एसीटीआरईसीटी में विकास कार्य के लिए आवश्यक ड्यूटेरियम डिप्लेटेड जल की आपूर्ति में देरी और भारी जल संयंत्र, तूतीकोरिन में बाढ़ की वजह से अधिकतम मांग रेजिंग प्रभार का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “खनिज अन्वेषण और खनन परियोजनाएं (एमडीईआर)” – ₹1255.05 लाख की बचत (₹1332.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार वस्तु शीर्ष के पुनः आवंटन की वजह से परियोजना स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त होने में देरी होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹14.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head “4861” - “Heavy Water - Heavy Water Production - Operational Expenses of Heavy Water” - the original provision of ₹137439.00 lakhs was augmented to ₹149907.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12468.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹683.61 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and change in Performance Related Incentive Scheme eligibility criterion.

(III) Under Major Head “4801” - “Nuclear Power Generation - Power Project of Atomic Energy - Away from Reactor Projects at Kudankulam” - saving of ₹26685.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34585.00 lakhs) was due to slow progress of design work and delay in raising of invoices by vendors.

(IV) Under Major Head “4861” - “Atomic Energy Industries - Industrial Projects of Atomic Energy” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Improvement/Modifications of Heavy Water projects” - saving of ₹539.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to re-tendering of case files for drums, delay in supply of Deuterium Depleted Water required for development work at ACTRECT and non-payment of maximum demand raising charges owing to flooding at Heavy Water Plant, Tuticorin.

(B) “Minerals Exploration and Mining Projects (AMDER)” - saving of ₹1255.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1332.00 lakhs) was due to delay in obtaining approval for project sanction owing to the re-allocation of object heads as per orders of Ministry of Finance.

(गा) “अपशिष्ट उपचार, उन्नत ईंधन, ईंधन पुनर्संसाधन परियोजनाएं (बीएआरसी)” – ₹17458.02 लाख की बचत (₹20990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की खरीद के आदेश को अंतिम रूप न देने, विद्युत ऊर्जा वितरण पैकेज, अग्नि हाइड्रेंट और जल आपूर्ति प्रणाली के संबंध में निविदा प्रक्रिया में देरी होने और सिविल कार्य के लिए स्थान तैयार करने में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) “परमाणु ईंधन निर्माण परियोजनाएं” – ₹5575.98 की बचत लाख (₹76361.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) खराब प्रतिक्रिया की वजह से फाइलों की पुनः निविदा किए जाने, वैश्विक निविदाएं जारी करने के लिए वैश्विक निविदा जांच अनुमोदन प्राप्त करने में देरी और स्पेन से उपकरणों की शिपमेंट में देरी होने के कारण हुई।

(ड) “ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं (एनआरबी)” – ₹10520.90 लाख की बचत (₹80490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों की खरीद और “एकीकृत परमाणु रिसाइकल प्लांट के निर्माण कार्य में निर्माण और देरी” नामक परियोजना के कुछ कार्यों के स्थगन के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “5401” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “आवास – बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं” – ₹2585.21 लाख की बचत (₹16120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैधानिक मंजूरी मिलने में देरी होने की वजह से कार्य आदेश प्रस्तुत न किए जाने तथा अस्पताल उपकरण और मोटर वाहनों की खरीद के प्रस्तावों का मंजूरी न मिलने और मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(खा) “परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजनाएं” –

(क) “इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं” – ₹12370.45 लाख की बचत (₹19673.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने,

(C) “Waste Treatment, Advanced Fuel, Fuel Reprocessing Projects (BARC)” - saving of ₹17458.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20990.00 lakhs) was due to non-finalization of order for procurement of machinery and equipment, delay in tendering process in respect of electrical power distribution package, fire hydrant and water supply system and delay in site preparation for civil work.

(D) “Nuclear Fuel Fabrication Projects” - saving of ₹5575.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76361.00 lakhs) was due to re-tendering of files due to poor response, delay in obtaining Global Tender Enquiry approvals for floating global tenders and delay in shipment of equipment from Spain.

(E) “Fuel Recycle Projects (NRB)” - saving of ₹10520.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80490.00 lakhs) was due to deferment of procurement of motor vehicles and certain works of project titled “Construction & Delay in Construction work of Integrated Nuclear Recycle Plant”.

(V) Under Major Head “5401” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Housing - Infrastructure Development Projects” - saving of ₹2585.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16120.00 lakhs) was due to non-placement of work orders owing to delay in statutory clearance and non-materialization of proposals for procurement of hospital equipment and motor vehicles.

(B) “Research Projects of Atomic Energy” -

(a) “R&D projects of Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR)” - saving of ₹12370.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19673.00 lakhs) was due to non-finalization of new projects, delay in

परमाणु ऊर्जा एक विभाग एक अंशदान (ओडीओएस) के भुगतान में देरी तथा परियोजना विस्तार के लिए वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

(ख) “राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरसीएटी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं” – ₹611.70 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने तथा फर्नीचर और फिक्सचर की खरीद को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) “परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं” – ₹6963.40 लाख की बचत (₹9791.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार वस्तु शीर्षों के पुनः आवंटन के अनुमोदन में देरी होने और मोटर वाहनों की खरीद का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(घ) “एईआरबी की विस्तार परियोजनाएं” – ₹661.52 लाख की बचत (₹1581.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भवनों की पुनः वायरिंग के भुगतान को अंतिम रूप न देने, सुरक्षा अनुसंधान संस्थान इंजीनियरिंग हॉल के लिए मशीनरी, आईटी हार्डवेयर और फर्नीचर की खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(ङ) “मेगा विज्ञान परियोजनाएं” – ₹4901.49 लाख की बचत (₹5987.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डब्ल्यूएलसीजी और एसकेए परियोजना के परियोजना अनुबंधों को अंतिम रूप न दिए जाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अपेक्षित सहायक दस्तावेजों की देरी से प्राप्ति की वजह से सीईआरएन की सदस्यता शुल्क के आस्थगन के कारण हुई।

payment of One Department of Atomic Energy One Subscription (ODOS) and non-receipt of financial sanction for project extension.

(b) “R&D projects of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT)” - saving of ₹611.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to non-finalization of new projects and non-materialization of procurement of furniture and fixtures.

(c) “R&D Projects of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER)” - saving of ₹6963.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9791.00 lakhs) was due to delay in approval of the re-allocation of object heads as per directions of Ministry of Finance and non-materialisation of purchase of motor vehicles.

(d) “Expansion Projects of AERB” - saving of ₹661.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1581.00 lakhs) was due to non-finalisation of payment for rewiring of new buildings, non-finalization of procurement of machinery, IT hardware and furniture for Safety Research Institute engineering hall.

(e) “Mega Science Projects” - saving of ₹4901.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5987.00 lakhs) was due to non-finalization of project contracts of WLCG and SKA project, deferment of membership fees of CERN owing to late receipt of supporting documents required from Department of Science and Technology.

(च) “सार्वजनिक आउटरीच और प्रबंधन कार्यक्रम” – ₹2242.05 लाख की बचत (₹7644.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझा केंद्र परियोजना व्यय के संबंध में वस्तु शीर्षों के राजस्व अनुभाग में पुनः आवंटन किए जाने, जोकि राजस्व प्रकृति के हैं, के कारण हुई।

(f) “Public Outreach and Management Programmes” - saving of ₹2242.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7644.00 lakhs) was due to reallocation of object heads in respect of Global Centre for Nuclear Energy Partnership Project expenditure, which is of revenue nature, to Revenue Section.

(VI) मुख्य शीर्ष “6801” – “नाभकीय ऊर्जा उत्पादन – भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण” के अंतर्गत ₹68400.00 लाख की बचत (₹118400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी और प्रौद्योगिकीय चुनौतियों की वजह से पीएफबीआर की गंभीरता प्राप्ति में देरी के कारण हुई।

(VI) Under Major Head “6801” - “Nuclear Power Generation - Loans to Bhartiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited” - saving of ₹68400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹118400.00 lakhs) was due to delay in achieving criticality of PFBR owing to technical and technological challenges.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹355.48 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 80 प्रतिशत है।

(VII) Under one head saving of ₹355.48 lakhs occurred constituting 80 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचत (₹25629.00 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि, मुख्य शीर्ष “4861” – “अन्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल)” के अंतर्गत ₹12749.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹25628.50 लाख था।

5.(I) The above savings were partly (₹25629.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹12749.00 lakhs under Major Head “4861” - “Others - Investment in Public sector and other Undertakings - Indian Rare Earth Limited (IREL)”. Actual excess, however, was ₹25628.50 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “4801” – “नाभकीय विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय नाभकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड” – ₹26808.00 लाख का अधिक व्यय (₹256292.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 70:30 ऋण इक्विटी अनुपात के अनुसार इक्विटी निवेश के लिए सरकार के हिस्से के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head “4801” - “Nuclear Power Generation - Investments in Public Sector and other undertakings - Nuclear Power Corporation of India Limited” - excess of ₹26808.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹256292.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Government’s share for equity investment as per 70:30 debt equity ratio.

(खा) मुख्य शीर्ष “4861” – “परमाणु ऊर्जा उद्योग – परमाणु ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएँ” –

(क) “आईआरईएल परियोजनाएँ” – ₹2725.83 लाख का अधिक व्यय (₹2674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेडियोधर्मिता की निगरानी के लिए उपकरणों की खरीद, पूर्ण होने के करीब परियोजनाओं की प्रगति में वृद्धि और रूफ कवरींग स्लैब के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “विकिरण और आइसोटोप उत्पादन (बीआरआईटी)” – ₹1538.90 लाख का अधिक व्यय (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मेसर्स आईएनवीएपी, अर्जेन्टीना को परियोजना के लिए उपकरणों और आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “5401” – “परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजनाएँ – भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ” – ₹3889.55 लाख का अधिक व्यय (₹68559.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों, फर्नीचर और फिक्सचर की खरीद और सुरक्षा अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head “4861” - “Atomic Energy Industries - Industrial Projects of Atomic Energy” -

(a) “IREL Projects” - excess of ₹2725.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2674.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of equipment for monitoring radioactivity, increase in progress of the projects nearing completion and construction of roof covering slab.

(b) “Radiation and Isotope Production (BRIT)” - excess of ₹1538.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards final payment to M/s. INVAP, Argentina for procurement of equipment for project and IT hardware and software.

(C) Major Head “5401” - “Research Projects of Atomic Energy - R&D projects of Bhabha Atomic Research Centre (BARC)” - excess of ₹3889.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68559.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of machinery and equipments, furniture and fixtures and construction of security infrastructure.